

फर्द अहकाम

(नियम 26)

दालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम चिड़वाराजेश उर्फ राजवीर बनाम गुजरातराम वगैरा

मुकदमा नं. _____ सन _____

तारीख हकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए।
12 ² / ₂₁	परावली पेश हुई। बन्तुलाम फरिकेन उपास्थ- गोटासोन अधिकारी आज दीगर कार्य में व्यस्त हैं। भ्रमण पर हैं। अतः वत्रावली गत आदेशद्वारा आमन्ता दिनांक 19-2-21 को पेश हो। परावली पेश हुई। फिल वल्ले अतिरिक्त पेश हुई दिनांक 26-2-21 को पेश हो। ↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़वा	
26 ² / ₂₁	परावली पेश हुई। प्रार्थना पर प्रस्तावित निवेधाना पर व्यस उच्च पक्षकारों सुनी गयी फिल वल्ले आदेश हुई दिनांक 5-3-2021 को पेश हो। ↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़वा	
5-3-21	परावली पेश हुई। परावली पर आदेश दिया जाता है। परावली का व्यवहार किया गया। व्यस उच्च पक्ष पर प्रस्तुत किया गया। समस्त तथ्यों व दस्तावेजों से वारी का प्रमाण देखा जा सका। प्रतीत होता है। यदि पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निवेधाना दिनांक 21-4-2017 को vacated कर दिया जावेगा तो वारी अपने एक अधिकारी से वल्ले रह जावेगा। वादग्रस्त व्यक्ति में एक हिस्से के छिन्द हो सल वाद पर प्रलय होने हो। सुविधा का संतुलन व अप्रत्याशित अर्थ के छिन्द वारी के एक में जाते हो। अतः पूर्व में जारी अन्तरिम आदेश निवेधाना दिनांक 21-04-2017 को तादात केसल खाई (confirm) किया जाता है परावली केसल शुभार होकर नमकर से कर की जाकर वाद तकमील जाया राखील रहत हो। ↓ उपखण्ड अधिकारी, चिड़वा	